उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–961–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017–60–पी/98(टी0सी0–1), दिनांकः 07 अगस्त, 2018

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर।

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की कार्यवाही के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1320–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017–60–पी/98(टी0सी0–1), दिनांक 29.12.2017 एवं तत्क्रम में जारी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–777/पेंएवंआर0–28/पाकालि/2017–60–पी/98(टी0सी0–1) दिनांक 30.06.2018 जिसके माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उ0प्र0 शासन के आदेशो की अनुरूपता में शासन की सहमति से दिनांक 01.01.2016 से किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित दरों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान आदेश शीघ्र एवं सुगमता से जारी कराये जाने के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग में पेंशन की पुनरीक्षण की कार्यवाही के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र सं0–444–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2018–60–पी/98(टी0सी0–1) दिनांक 11.04.2018 के माध्यम से दिनांक 01.01.2016 के पूर्व विभिन्न वेतन आयोगों में वेतन पुनरीक्षण एवं तद्नुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन के निर्धारण हेतु जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) को संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है। **इस सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स को जिस अन्तिम वेतनमान/वेतन के अनुसार पेंशन अनुमन्य करायी जा रही है उसी अन्तिम वेतनमान/वेतन के आधार पर कारपोरेशन के उक्त पत्र के माध्यम से जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) में संगत तालिका के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सुगमता से शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।** इस कार्यवाही में यदि किसी मामले में अन्तिम आहरित वेतनमान/वेतन में कोई भ्रम की स्थिति पेंशन पत्रावली के अभिलेखों में उत्पन्न हो तो उसका निराकरण सम्बन्धित पेंशनर्स की सेवा पुस्तिका से

क्रमशः 02

(अराजपत्रित मामलो में) तथा लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा से (राजपत्रित मामलों में) पुष्टि करके किया जा सकता है।

यहाँ पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कारपोरेशन के आदेश सं0–444–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2018–60–पी/98(टी0सी0–1) दिनांक 11.04.2018 के अनुसार जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) को लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) तथा लेखाधिकारी (पेंशन) के संयुक्त हस्ताक्षर से विधीक्षोपरान्त जारी किया गया है इसलिए दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के सम्बन्ध में अलग से उनके वेतन का नोशनल वेतन निर्धारण अथवा विधीक्षा कराये जाने की या इस सम्बन्ध में पेंशनर्स विशेष से कोई भी सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

2. उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–02 के शासनादेश सं0–7/2018/1247/24–पी–2–18–सा0(84)/2014 दिनांक 29.06.2018 के अनुपालन में जारी कारपोरेशन के आदेश सं0–800–पें0एवंआर0–28/पाकालि/18–60–पी/1998(टी0सी0–1) दिनांक 07.07.2018 के बिन्दु–05 में की गयी व्यवस्था कि "अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।"

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2018 से लागू व्यवस्था अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु कोषागारों से समन्वय स्थापित कर अनन्तिम पेंशन का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रकरण जिनमें विभागीय जॉच/विभागीय स्तर पर लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं की जा सकी है उन मामलो में विभागीय जॉच/लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम कार्यालय के स्तर से छः माह में कार्यवाही पूर्ण करते हुए अन्तिम पेंशन की स्वीकृति/अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारी करा दी जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन/लम्बित हैं केवल उन्ही मामलों में अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि का विस्तारण छः माह अथवा बारह माह जैसी भी स्थिति हो, के उपरान्त कराया जाये। पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में इस तथ्य का स्पष्ट/विशिष्ट उल्लेख भी कर दिया जाये।

3. दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पेंशन भुगतान आदेश जारी कराये जाने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन निदेशालय/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के स्तर से की जा रही है। इस सम्बन्ध में पेंशन निदेशालय स्तर से कतिपय मामलों में यह सूचना प्राप्त हुई है कि पेंशन प्रपत्रों को सम्पूर्णता में सभी सूचनाओं/पेंशनरी देयों के आकलन सहित नही भरा जा रहा है तथा वांछित सूचनाओं के सापेक्ष मात्र नियमानुसार अथवा यथा देय का अंकन करके ही पेंशन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे पेंशन के निस्तारण में कठिनाई एवं विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

क्रमशः 03

उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र सं0–777/पेंएवंआर0–28/पाकालि/ 2017–60–पी/98(टी0सी0–1) दिनांक 30.06.2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है अतएव तद्नुसार कार्यवाही कराते हुये समस्त सूचनाओं सहित पेंशन प्रपत्रों को पूर्ण कराकर यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन की पूर्ण धनराशि पूर्ण गणना के अनुसार अंकित कराते हुये तथा वांछित अभिलेखों को संलग्न करते हुये पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन निदेशालय अथवा मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किया जाये जिससे पेंशन के निस्तारण में किसी भी प्रकार की विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना न रहे।

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या–961(I)/पे0एवंआर0/पाकालि/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक, (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
9. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कारपोरेशन मुख्यालय समस्त अनुभाग/शिविर।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाईल।

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)